इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012—भाद्र 9, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) ⋅(1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) - कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, विट्डन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. 2525—मप्रविनिआ—2012.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (य ट) के साथ पठित धारा 91 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा

671

चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते) विनियम, 2012

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2012 है.
 - (2) ये विनियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
 - 2. परिभाषाएं.-इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
 - (ख) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयोग का सचिव;
 - (ग) ''अध्यक्ष (चेयरपर्सन)'' से अभिप्रेत है, आयोग का चेयरपर्सन (अध्यक्ष);
 - (घ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;
 - (ङ) ''आयोग सचिव'' से अभिप्रेत है आयोग के सचिव के रूप में पदाभिहित अधिकारी;
 - (च) ''सिमिति'' से अभिप्रेत है, चयन सिमिति/विभागीय पदोन्नित सिमिति;
 - (ज) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (छ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागंरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (झ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (ञ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
 - (ट) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

- (ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग सेवा;
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ढ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए है किन्तु परिभाषित नहीं है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, के वही अर्थ होंगे जो इनके लिए विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में कमशः उनके लिए दिए गए हैं।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.— समय समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम अनुसूची—एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन-

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-

- (1) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
- (2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि:— (1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु अध्यक्ष, समय—समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

- (2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के **परिपन्न क्र. एफ**—11 /1/2008/नियम/चार **दिनांक 24/1/2008** एवं परिपन्न क्र. एफ—11/1/2008/नियम/चार दिनांक 07.11.2009 सहपठित परिपन्न क्र. एफ—11/1/2008/नियम/चार दिनांक 30.10.2010 के उपबंधों के अनुसार समयमान वेतनमान के हकदार होंगे।
- 6. भर्ती का तरीका.— (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) चयन के माध्यम से सीधी भर्ती व्दारा;
 - (ख) अनुसूची चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) उन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं, जैसा कि अध्यक्ष व्दारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।
 - (घ) एकल समय विशेष प्रावधान.— आयोग द्वारा, संविदा पर नियुक्त किए गए कर्मचारी और जो कि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को सेवा में हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क्रमांक एफ 5—3/2006/1/3 दिनांक 16.5.2007 की कंडिका 5.1 में निर्धारित निम्नानुसार शर्तों के अधीन आयोग का

कर्मचारी माना जाएगा तथा उनकी सेवाएँ अध्यक्ष द्वारा उसी पद पर अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पे—बैंड तथा ग्रेड पे में समुचित तौर पर निर्धारण द्वारा नियमित की जाएगी जिन पर वे इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व कार्य कर रहे थे,

- (1) व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक से निरंतर सेवारत है किन्तु इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं किए जावे, जो न्यायालय / न्यायिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत हों,
- (2) व्यक्ति, जिसे स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध रखा गया है,
- (3) व्यक्ति इस विनियम के अनुसार अर्हता रखता हो,
- (4) व्यक्ति जिस समय रखा गया उस समय निर्धारित आयु सीमा का मापदंड पूरा करता हो,
- (5) व्यक्ति की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हो,
- (6) व्यक्ति जिस वर्ग (अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित) का रिक्त पद है, उसी वर्ग से संबंधित हो,
- (7) व्यक्ति अभी न्यायालयीन स्थग्न के आधार पर सेवारत न हो।

परन्तु यह कि कर्मचारी के नियमितीकरण के बाद अध्यक्ष, कर्मचारी द्वारा की गई संविदा सेवा अवधि जो अनुसूची—4 के क्रमांक 4 में दर्शाई गई है को पद का अनुभव मानकर उच्च पद पर कर्मचारी की नियुक्ति की अनुमति दे सकेगा।

- (2) आरक्षण:— मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियमितिकरण के प्रकरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (मिहलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार मिहलाओं की नियुक्ति के लिए बनाए गए उपबंधों का अनुसरण भी किया जाएगा।
- (3) नियमितीकरण की पद्धति:— (एक) आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुसूची—तीन के कालम (7) में यथा दर्शित सदस्यों से मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी।
- (दो) विनियम 6 के उपविनियम (3) (एक) के अधीन इस प्रकार गठित की गई समिति कर्मचारियों के नियमितिकरण से संबंधित समस्त प्रकरणों पर विचार करेगी, जिनकी सेवाएं पूर्व में आयोग द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना के पूर्व संविदा पर प्राप्त की गई थी।
- (तीन) नियमितिकरण के लिए मानदण्ड सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 दिनांक 16.5.2007 की कंडिका 5.9 तथा 5.10 में परिभाषित ज्येष्टता पर आधारित होगा ।
- (चार) समिति, ऐसे संविदा कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगी जो विनियम 6 के उपविनियम (1) (घ) में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हों तथा समिति द्वारा पद पर नियमितिकरण हेतु उपयुक्त ठहराए जाएं। समिति द्वारा इस प्रकार तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और नियुक्ति प्राधिकारी, अध्यक्ष से सूची पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- (पांच) समिति, ऐसे संविदा कर्मचारियों की पृथक सूची भी तैयार करेगी, जो नियमितिकरण की साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत नियमितिकरण की शर्तों का पालन नहीं करते। समिति ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के नियमितिकरण न किए जाने के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगी तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को सौंपेगी।
- (छः) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन कर्मचारियों की, जो नियमितिकरण की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नियमितिकरण के मानदण्डों की पूर्ति नहीं करते, विनियम 6 के उपविनियम (3) (पांच) के अधीन समिति द्वारा इस प्रकार तैयार की गई सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा तथा उसके द्वारा उसे प्रत्येक कर्मचारी के मानदण्डों हेतु शिथिलीकरण की अनुशंसा प्रस्तुत करने के पश्चात् आवश्यक शिथिलीकरण हेतु अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से प्रत्येक प्रकरण पर विनिश्चय किया जाकर सूची का अनुमोदन किया जाएगा।
- (सात) सिमिति द्वारा विनियम 6 के उपविनियम (3) (चार) तथा (3) (छः) के अधीन तैयार की गई सूची का अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर नियमितिकरण के लिए सूची होगी। नियुक्ति प्राधिकारी प्राविधक वरिष्ठता को ध्यान में रखकर संबंधित कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी आदेश तुरन्त जारी करेगा।
- (आठ) ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं विनियम 6 के उपविनियम (3) (चार) तथा (3) (छह) के अधीन नियमितिकरण नहीं किया जा सकता हो, वे अध्यक्ष के विवेकाधिकार से अपने पद पर संविदा आधार पर कार्य करते रहेंगे।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रमाणनः— नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नियमितिकरण आदेश पर इस आशय का प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
- (5) विरिष्ठता:— समस्त संविदा कर्मचारियों की संवर्गवार एक प्रावधिक विरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और विनियम 6 के उपविनियम (3) (चार) तथा (3) (छह) के अधीन नियमितिकरण होने के पश्चात् समान्यतः कर्मचारी उक्त मूल प्रावधिक विरिष्ठता सूची के आधार पर अपनी विरिष्ठता का संधारण करेंगे किन्तु अध्यक्ष द्वारा शिथिलता अथवा योग्यता प्राप्ति हेतु समय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संवर्ग में पारस्परिक विरिष्ठता का अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जा सकेगा।
- (6) प्रारंभिक वेतन का निर्धारण:— अध्यक्ष को, कर्मचारियों के नियमितिकरण की तारीख से समुचित वेतन निर्धारण करने की शक्ति होगी।
- (7) **कियान्वयन की शक्ति.**—विनियम 6 के उपविनियम (1) (घ) के अधीन कियान्वयन की शक्ति का प्रयोग केवल इस विनियम के प्रकाशन की तारीख को उन संविदा कर्मचारियों की नियमितिकरण हेतु ही किया जाएगा जो, सेवा में हैं।

- (2) उपविनियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति अथवा रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) इस विनियम के उपविनियम (1) में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो अध्यक्ष, कथित उपविनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति— इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते— चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी अर्थात् :—
- (1) आयु— (क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी:
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए भी शिथिलनीय होगी:--
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो तथा वह सामान्य वर्ग का हो 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए जबिक ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- (वं) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, तथा वह सामान्य वर्ग का हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, जबिक ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावृधि, भले ही वह कालाविध एक से अधिक बार 'की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया' जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह सामान्य उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संगठक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालाविध कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण'— पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था और

जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रिजस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था:—

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर; सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पाविध सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों;
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;

- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (8) 'ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकों गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुवित हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयू सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ड.) विधवा निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (च) उन अभ्यर्थियों के लिए, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नी के मामले में उच्चतर आयु—सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल/मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल तथा उसकी उत्तरवर्ती संस्था के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा यदि वह सामान्य वर्ग का है तो 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, तथा यदि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) नगर सेवा (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगरसैनिकों एवं नान कमीशंड अधिकारियों के लिए उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उचत्तर आयु सीमा आठ वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु यदि वह सामान्य वर्ग का है तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा यदि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ट) परित्यक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, राज्य सरकार व्दारा, समय समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- (ठ) केन्द्र / राज्य सरकार या उन सरकारों के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट (इकाई) में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्ति के लिए कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगीः

परन्तु पदधारी, केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियमों के अधीन उनके तत्स्थानी श्रेणी के कर्मचारियों की उनकी अधिवार्षिकी के लिए कम से कम तीन वर्ष होना चाहिए।

टिप्पणी—(1):— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें ऊपर विनियम 8 (1), (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, नियुक्ति

आदेश जारी होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

- (2) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपंरिथत होने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं.— अभ्यर्थी के पास, अनुसूची तीन में दर्शायी गई सेवा के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए:

परंतु,-

- (क) अध्यक्ष आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता हो, किन्तु जिसनें अन्य संस्थाओं / विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो अध्यक्ष की राय में अभ्यर्थी को चयन के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पात्र ठहराता हो; और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय है जिन्हों सरकार द्वारा विर्निदिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, अध्यक्ष के विवेकानुसार, चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा।
- (3) फीस.— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय—समय पर, विनिर्दिष्ट की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.-

- (एक) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, अध्यक्ष व्दारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरईता माना जा सकेगा।
- (दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (तीन) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसंब 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

- (चार) कोई अभ्यर्थी, जो किसी महिला के विरूद्ध किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, किंतु जहां ऐसा मामला किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में लंबित हो, उसकी , नियुक्ति का मामला, न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रहेगा।
- (पांच) पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नि है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.-

- (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा प्रवेश प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया हैं, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) चयनित अभ्यर्थी, विनियम 9 के अनुसार किसी भी स्तर पर निरर्हित पाया जाता है तो उसका चयन तथा नियुक्ति अकृत एवं शून्य हो जाएगी।

11. चयन के माध्यम से सीधी भर्ती-

- (1) आयोग का अध्यक्ष, अनुसूची तीन के कालम (7) में दर्शाए गए सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन करेगा परंतु अध्यक्ष, सेवा के लिये सदस्य के रूप में किसी विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकेगा।
- (2) (एक) सेवा में भर्ती हेतु चयन, ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय समय पर, अवधारित करे।
- (दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों की एक चयन सूची, समिति व्दारा उनके साक्षात्कार लिए जाने के पश्चात्, चयन व्दारा बनाई जाएगी।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कृमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार व्दारा, समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के प्रकृम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, विनियम—12(1) में, निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रेंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (5) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षेतिज (होरीजेंटल) आरक्षण रखा जाएगा।
- (6) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखें जाएंगे।

- (8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालाविध का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां, किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।
- 12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.— (1) सिमित, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के कम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अई हों, जैसा कि सिमित अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की, पृथक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सिमित द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन विनियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।
- (4) चयन सूची, उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।
- 13. परिवीक्षा.— सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा और यदि परिवीक्षाधीन (व्यक्ति) का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अध्यक्ष

परिवीक्षा की कालावधि को एक या अधिक चरणों में अधिकतम एक वर्ष की कालावधि तक बढ़ा सकता है, ऐसी परिवीक्षा की कुल अधिकतम कालाविध दो वर्ष होगी।

- 14. पदोन्नित द्वारा नियुक्ति— (1) पदोन्नित के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने हेतु एक सिमिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार के कालम (5) में उल्लिखित सदस्य होंगे।
- (2) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नित हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नित में आरक्षण एवं पदोन्नित व्दारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
- (4) विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दे, किन्तु सधारणतया एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
- 15. पदोन्नित के लिये पात्रता की शर्ते (1) उपविनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नित की जानी है या जिन्हों नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो जितनी की अनुसूची—चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है, और जो उपविनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरणः पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति, सुसंगत वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नित सिमिति आहूत की जाती है, 1 जनवरी को अईकारी सेवा की कालाविध की गणना उस कलैण्डर वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

- (2) पदोन्नित के लिए विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।
- (3) (एक) केवल उन्हीं कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो को शीघ्रलेखक के पद पर पदोन्नति हेतु विचारण में लिया जाएगा, जो मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या संस्था से हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 श.प्र.मि. की गति से उत्तीर्ण हों।
- (दो) चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो/स्वागति तथा डायरी लेखक-सह-प्रेषक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी को अनुसूची-तीन में इन पदों के लिए यथा विनिर्दिष्ट अर्हता पूर्ण करनी होगी.

- 16. उपयुक्त कर्मचारियों की सूची तैयार करना— (1) सिमिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो विनियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सिमित द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिय उपयुक्त उहराए गए हों। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची भी प्रस्थापित की जाएगी जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सिम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, सिम्मिलित होंगे।।
- (2) चयन सूची तैयार करने का मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (3) प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के कम में रखे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित किया गया हो किंतु जिसे चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

- (4) इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।
- (5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।
- 17. चयन सूची— (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची का अनुमोदन करेगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्रधिकारी, सिमिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना सिमित को देगा तथा सिमिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) मे दर्शित किए गये पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में दर्शित किए गए पदों पर सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नित के लिए चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची, जब तक की विनियम 16 के उपविनियम (4) के अनुसार उसको पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित की जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालाविध के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालाविध से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यवित की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- 18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति— चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी कम से की जाएगी, जिस कम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।
- 19. विभागीय परीक्षा.— इस सेवा के पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगी जैसी कि अध्यक्ष व्दारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- 20. प्रशिक्षण.— इस सेवा के पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना या आयोग के या बाहर के संचालित पाठ्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित होगा, जैसे कि अध्यक्ष व्दारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाए।
- 21. प्रतिनियुक्ति.— (क) नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची—दो के कालम (2) में दर्शाए गए सीधी भर्ती के पदों की प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के माध्यम से विनिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव रखने वाले तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार या इन सरकारों के अधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक सेक्टर यूनिट) में पूर्व से ही कार्यरत अभ्यर्थियों से भर सकेगा। अपरिहार्य परिश्यितियों के अधीन, उक्त अनुसूची के कालम (2) में दर्शाए गए केवल उन पदोन्नत किए जाने वाले पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकेगा जिनमें फीडर संवर्ग में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो।
- (ख) प्रतिनियुक्ति के माध्यम से या विदेश सेवा पर पदों को भरने के लिए राज्य सरकार व्दारा, समय समय पर, जारी मार्गदर्शनों एवं निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- 22. प्रतिनियुक्ति पर संविलियन करने की शर्तैः— इस संबंध में, राज्य सरकार के समय—समय पर, यथा संशोधित नियमों का पालन किया जाएगा।
- 23. प्रणालीकरण (चेनलाइजेशन).— पद, जिनके व्दारा पदोन्नित की जानी है अनुसूची—चार के कालम (2) में दर्शाए गए हैं तथा पद, जिन पर पदोन्नित की जानी है तथा पदोन्नित के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव को उक्त अनुसूची के कालम (3) तथा (4) में कमशः दर्शाया गया है।
- 24. निर्वचन— यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 25. शिथिलीकरण— (1) इन विनियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे ये विनियम लागू होते हैं, अध्यक्ष को ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

- (2) अध्यक्ष, जनिहत में उसके विवेकाधिकार का, कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्, इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व आयोग में पहले से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण के मानदण्डों को भी शिथिल कर सकेगा।
- 26. व्यावृत्ति— इन विनियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 27. निरसन.— इन विनियमों के तत्स्थानी तथा इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, ऐसे समस्त विनियम, एतद्व्दारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरिसत विनियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची – एक (विनियम 5 देखिए)

		T	T	T	T	<u> </u>	T	1	1	
वेतनमान + ग्रेड वेतन	(5)	9300-34800+3600/-	5200-20200+2800/-	5200-20200+2400/-	5200-20200+1900/-	5200-20200+1900/-	5200-20200+1900/-	5200-20200+1800/-	4440-7440+1400 /	4440-7440+1300/-
वर्गीकरण	(4)	तृतीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
अस्थाई पदों की कुल संख्या	(3)	05	05	02	10	02	80	03	90	16
सेवा में सिम्मिलित पदों के नाम	(2)	निज सहायक	शीघ्र लेखक	केशियर/केयर टेकर	कम्प्यूटर अपरेटरसहस्टेनो	स्वागती/डायरी लेखक-सह-प्रेषक	वाहन चालक	पर्यवेक्षक (सुपर वाइजर)	दफ्तरी	मृत्य / अर्दली
अनुकमाक	(1)		2	ಣ	4	5	9	2	ω	6

ब्र <u>्</u>	
下 9	
प्रमु सम	
अ (विनि)	

अनकमांक	मेवा में अमिटिन पर्ने के उप्प	(प्राचित्र ६ द्राखर)			
}	יאן זי יווייונאנו אקן פי אווי	अस्थाइ पदा का कुल सख्या	मरे जाने त	मरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता	तिशतता
			सीधी मर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा
			उपविनियम 6(1)(क) देखिए	उपविनियम ६(1)(ख)	उपविनियम 6(1)(ग)
				देखिए	देखिए
	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
(<u>†</u>	निज सहायक	90	निरंक	100 प्रतिशत	
\	शीघ्र लेखक	05	निरंक	100 प्रतिशत	ļ
र्वा	केशियर / केयर टेकर	02	निरंक	100 प्रतिशत	
ত	कम्प्यूटर अपरेटर-सह-स्टेनो	10	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	-
 	स्वागती / डायरी लेखक-सह-प्रेषक	02	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	t manual statement of the statement of t
Tp_	वाहन चालक	08	100 प्रतिशत	निरंक	
12	पर्यवेक्षक (सुपर वाइजर)	03	निरंक	100 प्रतिशत	1
l D	दफ्तरी	90	निरंक	100 प्रतिशत	**
12-	मृत्य/अर्दली	16	100 प्रतिशत	निरंक	
-			-		

अनुसूची — तीन (देखे विनियम–8 तथा 11)

			5			
अनुकमाक	पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	विहित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता	आतिरिक्त	समिति के सदस्य
		आयु सीमा	आयु सीमा		अहर्ता	
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(9)	(4)
₩.	कम्प्यूटर ऑपरेटरसहस्टेनो	21 वर्ष	35 वर्ष	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर		1. आयोग सचिव एवं संचालकों में
				सेकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण।		वरिष्ठतम अधिकारी – अध्यक्ष
				(ख) (1) आई.टी.आई/		2. यदि आयोग सचिव समिति के
	•			पालीटेक्निक से 80 श.प्र.मि. से		अध्यक्ष हों, तो विष्टितम संचालक
				हिन्दी / अंग्रेजी शीघ्रलेखन		अन्यथा आयोग सचिव —सदस्य
				परीक्षा उत्तीर्ण होने का		3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित
				प्रमाण-पत्र		जनजाति वर्ग का नामनिदिष्ट
				अथवा		सदस्य न होने के दशा में उसी
•				(2) म.प्र. शीघ्रलेखन एव		प्रास्थिति का कोई सदस्य
				मुद्रलेखन परिषद् अथवा मान्यता		4. संयुक्त संचालक (प्रशासन),
				प्राप्त अन्य संस्था से 80 श.प्र.मि.		अथवा आयोग द्वारा नाम निर्देष्ट
				की गति से हिन्दी/अंग्रेजी		अधिकारी — संयोजक।
				शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने		
				का प्रमाण-पत्र।		ě c
				अथवा		

													e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					6 6
										•			भूत्र भूत्र	योग्यता	-	and the second s	n a marinina de la compa	
(3) अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद (एआईसीटी र	से मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक	महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस	मेनेजमेंट में डिप्लोमा	논뉴-미카	अथवा ऐसी परीक्षा जिसे आयोग	द्वारा उपयुक्त माना जाए।	(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के	ज्ञापन क. 3-14/3/2010	दिनांक 10.09.2010 में	उल्लेखित किसी एक संस्था से	कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।	(2)	(स) नान्द्रताप्राय बाढ स हायर	सेकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण।	(ख) मान्यताप्राप्त संस्था से	हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन की	कम से कम 30 शब्द प्रति	मिनिट की गति से उत्तीर्ण।
												यद	hh cc					
					· Stage · ·	<u></u>	·					 α 1 Δης						
												स्वागती / डायरी		लेखक-सह-प्रषक			{	
												2.						

				~	
3	वाहन चालक	21 वर्ष	35 वर्ष	(क) आंटवी परीक्षा उत्तीर्ण।	
				(ख) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय	
				से हल्के मोटर वाहन चलाये	
				जाने का लायसेंस।	
				(ग) हल्के मोटर वाहन चलाने	
				का 5 वर्ष का अनुभव।	
4.	मृत्य / अर्दली	18 वर्ष	35 वर्ष	आढवीं परीक्षा उत्तीर्ण।	
			89	अनसची – चार	

होने के दशा में उसी प्रास्थिति का कोई आयोग सचिव, संचालकों में अध्यक्ष यदि आयोग सिचव, सिमितं के अध्यक्ष हों तो विरिष्ठतम संचालक सदस्य जनजाति वर्ग का नामनिदिष्ट सदस्य न द्वारा नामनिदिष्ट यदि आयोग सचिव, समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित संयुक्त संचालक (प्रशासन) संयोजक समिति के सदस्य देखें विनियम 14(1) अन्यथा आयोग सचिव— वरिष्टतम अधिकारी— अथवा आयोग अधिकारी— अनुमव (4) 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष ag (विनियम—14 एवं 15 देखिए) पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है स्वागती/डायरी लेखक-सह-प्रेषक ત.પુત્રવા कम्पूटर ऑपरेटर-सह-स्टेनो केशियर/केयर टेकर निज सहायक शीघ्रलेखक सुपरवाईजर दफ्तरी (E) ď पद का नाम जिससे पद्गन्नति की जानी भृत्य / अर्दली / दफ्तरी / सुपरवाईजर स्वागती / डायरी लेखक-सह-प्रेषक कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-स्टेनो (2) भृत्य/अर्दली शीघलेखक दफ्तरी अन्कमांक ς; က 4, Ŋ. 6.

आयोग के आदेशानुसार, **पी. के. चतुर्वेदी,** आयोग सचिब.

Bhopal, the 24th August 2012

No. 2525/MPERC/2012.In exercise of the powers conferred by Clause (Zk) of Sub-section (2) of Section 181 read with Sub-section (3) of the Section 91 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulation relating to recruitment and service conditions of the Members of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class III and Class IV Service Recruitment) service, namely:

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class III and Class IV Service Recruitment and Service Condition) Regulations, 2012

1. Short title and commencement.

- (i) These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class III and Class IV Service Recruitment and Service Condition) Regulations, 2012.
- (ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.-

In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

- a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
- b) "Appointing Authority" in respect of the service means the Secretary to Commission;
- c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- d) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- e) "Commission Secretary" means the Officer designated as Secretary to the Commission;
- f) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee;
- g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- i) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;
- j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;



- k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- 1) "Services" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Service;
- m) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- n) Words and Expressions used in these regulations but not defined unless the context otherwise require shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).
- 3. Scope and Application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, as amended from time to time, these regulations shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule-I.
- 4. Constitution of the Service. The Service shall consist of the following persons, namely:-
 - (1) Persons recruited to the service before the commencement of these regulations; and
 - (2) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these regulations.
- 5. Classification, Scale of pay etc.- (1) The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Chairperson may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled for time scale of pay according to the provisions of Finance Department Circular No. F11/1/2008/Rule/IV dated 24.01.2008 and Circular No. F-11/1/2008/Rule/IV dated 07.11.2009 read with Circular No. F-11/1/2008/Rule/IV dated 30.10.2010.

6. Methods of Recruitment.-

- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these regulations, shall be made by any of the following methods, namely:-
- (a) By direct recruitment through selection.
- (b) By promotion of employees as specified in column (2) of Schedule-IV.
- (c) By deputation of persons, who hold a substantive or officiating capacity in such posts, and in such service as specified in this behalf by the Chairperson.
- (d) One Time Special Provision. The employees, appointed by Commission on contract and who are in service of the Commission as on the date of notification of these regulations, shall be deemed as employees of the Commission and their services shall be regularized at the post, on which they were



working prior to notification of these Regulations, by appropriately fixing them in pay band and grade pay as specified in Schedule-I subject to fulfilment of following conditions stipulated in paragraph 5.1 of GAD circular no. F5-3/2006/1/3 dated 16.5.2007:

- (1) Person is in service on contract for more than 10 years with continuity in service but this shall not include persons working as per the orders of Court/ Tribunal.
- (2) Person is appointed against sanctioned vacant post.
- (3) Person qualifies for the post as per these Regulations.
- (4) Person fulfilled age criterion at the time of appointment.
- (5) Person was appointed by the competent authority.
- (6) Person belongs to the category (SC/ST/OBC/UR) against which he/ she is appointed on the vacant post.
- (7) Person is not serving on the basis of Court Orders.

Provided that after regularization of an employee on a post the Chairperson may permit appointment of an employee on a higher post in the channel by considering the length of contract service as experience of the employee on the post as shown in Sr. No. 4 of Schedule-IV.

- (2) Reservation. Posts shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the regularization in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargo ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time. The provisions made for appointment of women vide Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rules, 1997 shall also be followed.
- (3) Method of Regularization: (i) A Committee consisting of members as shown in Column (7) of Schedule-III shall be constituted by the Chairperson of the Commission.
- (ii) The Committee so constituted under Sub-regulation (3)(i) of Regulation 6 shall consider all cases of regularization of employees whose services were previously obtain by the Commission on contract before notification of these regulations.
- (iii) The criteria of regularization shall be based on seniority as defined in paragraph 5.9 and 5.10 of GAD circular no. F5-3/2006/1/3 dated 16.5.2007.
- (iv) The Committee shall prepare a list of such contract employees who satisfy the conditions as specified in sub-regulation (1)(d) of Regulation 6 and held by the Committee suitable for regularization to the post. The list so prepared by the Committee shall be submitted to Appointing Authority and Appointing Authority shall obtain necessary approval of the Chairperson on the list.
- (v) The Committee shall also prepare a separate list for contract employees those who do not satisfy the conditions for regularization in ordinary course of regularization. The Committee shall specifically mention the reasons in writing for each employee for non-regularization and submit the list to the Appointing Authority.
- (vi) The list so prepared by the Committee under Sub-regulation (3)(v) of Regulation 6 for those employees who do not fulfil the criteria of regularization in normal course of regularization shall be examined carefully by

The Appointing Authority and after submission of his recommendation for individual employee for relaxation put up the list to the Chairperson for necessary relaxation. The Chairperson at its discretion shall take decision in each case and approve the list.

- (vii) The list so prepared by the Committee under Sub-regulation (3)(iv) and (3)(vi) of Regulation 6 as got approved by the Chairperson shall be the list for regularization. The Appointing Authority while maintaining the seniority of the candidates shall issue concerning orders of regularization immediately.
- (viii) Those employees, whose services cannot be regularized in terms of Sub-regulation (3)(iv) and (3)(vi) of Regulation 6, will continue their service on contract basis at the discretion of the Chairperson.
- (4) Certification by Appointing Authority: The Appointing Authority shall endorse on the regularization order to be issued, a certificate to the effect that he has compiled with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusushit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions issued in the light of provisions of the said Act and Rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.
- (5) Seniority: A cadre wise seniority list should be prepared for all contract employees as per Sub-regulation (3) (iii) and after regularization under Sub-regulation (3)(iv) and (3)(vi) of Regulation 6. Generally the employees shall maintain their original provisional seniority as it is in the said seniority list. But the mutual seniority may be decided by the Chairperson in cadre for those employees who got relaxation or time granted to achieve qualification by Chairperson.
- (6) Fixation of initial pay: The Chairperson shall have the power of fixing appropriately initial pay on the date of regularization of the employees.
- (7) **Power of Implementation:** This power of implementation of sub-regulation (1)(d) of Regulation 6 shall be exercised only for regularization of those contract employees who are in service on the date of publication of these Regulations.
- (2) The Number of persons, recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-regulation (1) shall not, at any time exceed, the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these regulations, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) of this regulation, if in the opinion of the Chairperson, the exigencies of the service so requires, the Chairperson may adopt a method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-regulation.
- 7. Appointments to the Service.- All appointments to the service after the commencement of these regulations shall be made by the appointing authority and no appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in regulation 6.
- 8. Conditions of eligibility of direct recruitment. In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
- (1) Age:- (a)He/She should have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection;
- (b) The Upper age limit shall be relaxable up to the maximum of 5 years, if the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-
- (i) A candidate who is permanent Government Servant and belongs to General Category should not be more than 40 years of age while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category should not be more than 45 years of age'
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post and belongs to General Category should not be more than 40 years of age while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;
- (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary services previously rendered by him up to maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the normal upper age limit by more than three years;

Explanation. - The term "Retrenched Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him: provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Concerning unit or due to normal reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in government service:

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers;
- (5) Officers discharged on after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-serviceman invalidated out of service;
- (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for a woman candidate in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;
- (e) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates;
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 years for those candidates, who are holding Green Card under the "Family Welfare Programme"

- (g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programe of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department;
- (h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the Vikram Award holder candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to 40 years of age for a candidate belongs to General Category while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category the upper age limit shall be relaxable upto 45 years of age, in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards/Madhya Pradesh State Electricity Board and its successor entities;
- (j) The general upper age limit shall be relaxable for Voluntary Home Guards and Non-Commissioned officers for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 40 years; For a candidate belongs to General Category while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category the upper age limit shall be relaxable upto 45 years/
- (k) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time.
- (l) There shall be no upper age limit for appointment on deputation, by the employees who are already working in Central/State Government or any Public Sector Unit under these Governments provided that the incumbents should have at least three years for their superannuation under the rules of the Central/State Government for their employees of corresponding grades.
- Note:-(1) Candidates who are found to eligible for selection under the age concession mentioned in regulation 8(1)(c)(i) and (ii) above will not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service before issue of their appointment order. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other cases there age limit shall be relaxed.
 - (2) Departmental candidates must obtain previous permission of the Chairperson to appear for the selection.

(2) Educational Qualification. -

The candidate must possess the Educational Qualification, specified for the service as shown in Schedule-III,

provided that,

(a) In exceptional cases, the Chairperson may treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualification prescribed in these regulations, but has passed examination

conducted by other Institutions/Universities by such a standard, for which the Chairperson considers the candidate eligible to appear in the interview for selection; and

- (b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities being Universities not specifically recognized by the Government, may also be considered for appearing the selection at the discretion of the Chairperson.
- (3) Fees. The candidate must pay the fees specified by the appointing authority from time to time.
- 9. **Disqualification.** (i) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for candidature by any means may be held by the Chairperson to disqualify him/her appearing for selection.
 - (ii) In accordance with the provisions of Rule 5 of the Madhya Pradesh (General Condition of Service) Rules, 1961, no candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.
 - (iii) A candidate shall not be eligible for any service or post has more than two living children, one of whom is born on or after 26 January 2001;

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already had one living child and in the next delivery takes place on or after the 26th January 2001, in which two ore more than two children are born.

- (iv) Any candidate shall not be eligible for appointment to Service, who has been convicted of an offence against woman provided that where such case is pending in court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Court.
- (v) Male candidate, who has more than one wife living and female candidate who has married a person having already a living wife shall not be eligible for appointment.
- 10. Decision about the eligibility of candidates shall be final.- (1) The decision of the appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall be allowed to appear for interview.
- (2) At any stage a selected candidate found disqualified according to regulation 9 then his/her selection and appointment shall be null and void.

11. Direct recruitment through selection.-

(1) The Chairperson of the Commission shall constitute a Committee consisting of Members as shown in column (7) of Schedule-III:

Provided that the Chairperson may co-opt the services of a specialist as a Member.

- (2) (i) The Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the appointing authority may determine from time to time.
 - (ii) A Select list of the candidates for service shall be made by the Committee after interviewing them by selection.
 - (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.
 - (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order, in which their names appear in the list referred to in regulation 12(1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
 - (5) There shall be horizontal reservation for women candidates, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (6) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the directions, issued by the General Administrative Department.
- (7) There shall be reserved posts for the ex-servicemen in accordance with the directions, issued by the General Administrative Department.
- (8) Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment, and it is found in the opinion of the Appointing Authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the Appointing Authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with Government.
- (10) If a sufficient number of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining

vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.

- 12. 'List of Candidates recommended by the Committee. (1) The Committee shall prepare and forward the list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards, as determined by the Committee and separate list for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standards but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these regulations and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list shall confer no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.
- 13. Probation. Every persons directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of one year and if the performance of the probationer has not been found satisfactory, the Chairperson may extend the period of probation upto a maximum period of one year in one or more installments i.e. total maximum period of probation shall be two years.

14. Appointment by promotion. -

- (1) There shall be constitute a Committee consisting of the members as mentioned in column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
- (2) For the promotion of the members of service as specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) thereof the eligibility of candidate, selection process, reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.
- (3) Certification by the Appointing Authority. The Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him, a certificate to the effect that he has compiled with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusushit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and Rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

- (4) The Departmental Promotion Committee shall meet at such intervals as the appointing authority may direct but ordinarily not exceeding one year.
- 15. Condition for Eligibility for Promotion.- (1) Subject to the provision of sub-regulation (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the Ist day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the appointing authority as specified in Column(4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-regulation(2):

Explanation. - Manner of computation for eligibility for promotion period of qualifying service on Ist January of the relevant year, in which Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the Public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

- (2) For the Zone of consideration for promotion, the provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules 2002 shall apply.
- (3) (i) Only those Computer Operator-Cum-Steno shall be considered for promotion to the post of Stenographer who have passed Hindi/English Shorthand Examination conducted by M.P. Shorthand and Typewriting Examination Board or any other Board or Institution recognized by Government with a speed of 100 w.p.m.
- (ii) For the promotion to the post of Computer Operator-Cum-Steno/Receptionist/Diarist-cum-Dispatcher from Class-IV cadre, the candidate must possess the qualification as specified for these posts in Schedule-III.
- 16. Preparation of List of Suitable Candidates. (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in regulation 15 and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement, promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of two public servants or 25% of the number of persons whichever is more, included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies, occurring during the course of aforesaid period.
- (2) The criteria for preparation of select list shall be as per provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules 2002.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation: - A person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The select list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.
- 17. Select List. (1) The Appointing Authority shall consider the select list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, pprove the list.
- (2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the change proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.
- (3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the Select List for promotion of the employees of the service from the posts shown in column (2) of Schedule-IV to the post shown in column (3) of the said Schedule.
- (4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-regulation (4) of regulation 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it deem fit, remove the name of such persons, from the select list.

- 18. Appointment to the service from the Select List.- Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the names of such employees appear in the select list.
- 19. Departmental Examination. Employees appointed to the posts of this service may be required to pass such Departmental Examination as may be specified by the Chairperson.
- 20. Training. Employees appointed to posts of the service required to undergo such training or courses as may be specified by the Chairperson.

- 21. Deputation. (a) The Appointing Authority may fill up the posts of direct recruitment as shown in column (2) of Schedule-II through deputation or on foreign service by the candidates having specified qualification and experience, and those already working in the Central or State Government or any Public Sector Unit under these Governments. In unavoidable circumstances in which there is no candidate available in feeder cadre then only the posts of promotion as shown in column (2) of said Schedule may be filled through deputation.
 - (b) To fill the posts through deputation or on foreign service guidelines and instructions issued from time to time by State Government shall be followed.
- 22. Condition of Merging of Deputationists.-In this regard, State Government Rules as amended from time to time shall be followed.
- 23. Channelization. The posts by which promotion is to be made are shown in column (2) of Schedule-IV and the posts on which promotion is to be made and the minimum experience required for promotion are shown in column (3) and (4) of said Schedule, respectively.
- 24. Interpretation:- If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Chairperson whose decision thereon shall be final.
- 25. Relaxation.- (1) Nothing in these regulations shall be construed to limit or abridge the power of the Chairperson to deal with the case of any person, to whom these regulations shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the no case shall be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these regulations.

- (2) The Chairperson at its discretion in public interest and after recording reasons in writing may also relax the criteria of regularization of the contract employees already working in Commission before publication of these regulations.
- 26. Saving. Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.
- 27. Repeal.-All regulations corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed in respect of matter covered by these regulations:

Provided that any order made or any action taken under the regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE-I

(See Regulation - 5)

Name of Po	Name of Posts included in the	Total No of	Closes	\$
service		Temporary	Ciassification	Scale of Pay + Grade Pay
(2)		r osts		
Personal Assistant		05	(4)	(5)
Stenooranher		i C	THE COMPA	000,C 000,FC-00C,C
~ corrept april		ç ₀	Class III	5,200-20,200+2,800
Cashier/Caretaker		02	Class III	5,200-20,200+2,400
Computer- Operator-Cum-Steno	епо	10	Class III	5,200-20,200+1,900
Receptionist/Diarist-cum-Dispatcher	patcher	02	Class III	5,200-20,200+1,900
Driver		80	Class III	5,200-20,200+1,900
Supervisor		03	· Class IV	5,200-20,200+1,800
Daftari		90	Class IV	4,440-7,440+1,400
Peon/Ardali		16	Class IV	4,440-7,440+1,300

CHEDULE-II

(See Regulațion - 6)

S.no	Name of Posts included in the service	Total No. of	Percentage	Percentage of Numbers of posts to be filled	ts to be filled
		Temporary Posts	0		
			By direct recruitment [see Sub-regulation 6(1)(a)]	By promotion [see Sub-regulation	By Deputation [see Sub-regulation 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
proved.	Personal Assistant	05	NIL	100%	1
2	Stenographer	05	NIL	100%	ı
33	Cashier/Caretaker	02	NIL	100%	1
4	Computer Operator-Cum-Steno	10	%06	10%	,
5	Receptionist/Diarist-cum-Dispatcher	02	75%	25%	ı
9	Driver	80	100%	NIL	i
7	Supervisor	03	NIL	100%	1
∞	Daftari	90	NIL	100%	1
6	Peon/Ardali	16	100%	NIL	1

SCHEDULE-III (See Regulation - 8 & 11)

Minimum Maximum
Turner Age Lumin
21 years 35 years
··· J.
· ·

	Computerdo									op	I	
mentioned in GAD Circular No. C-3-14/3/2010 dated 10.09.2010.	(a) Passed Higher Secondary (10+2) from a recognised Board.\	(b) Should have passed Hindi/English Typing with 30 w.p.m. from a	recognised institution.	(a) Passed Middle School (8th)	Examination.	(b) Having License from RTO to drive	Light Motor Vehicle.	(c) Experience of 5 years Driving	L.M.V.	Passed 8th Standard Examination		
	35 years			35 years						35 years		
	18 years			21 years						18 years		
	Receptionist/Dia	Dispatcher		Driver			,			Peon/Ardali		
	2			ώ						4		

SCHEDULE-IV (See Regulation 14 & 15)

S.No.	Name of nosts from which	None togulation 14 & 13)		
	promotion is to L.	lyame of post to which	Experience	Members of the
	promotion is to be made	promotion is to be		Committee
(1)	(6)	mane		
1	(7)	(3)	(4)	(5)
-	Stenographer	Personal Assistant	5 years	(1) Senior most officer
				amongst Commission
		ž .		Secretary/Directors:-
				Chairperson.
- Andrews				(2) Senior most Director, if
				Commission Secretary is
				the Chairperson, otherwise
				Commission Secretary-
				Member
				(3) In case nominated
				Members do not belongs to
				SC/ST, then any Member
				of same status.
				(4) Joint Director (Admin.)
				or any Officer nominated
		,		by Chairperson- Convenor
2.	Computer-Operator-Cum-Steno	Stenographer	5 years	op
3.	Receptionist/Diarist-cum-Dispatcher	Cashier/Caretaker	5 years	0p
	de constant de con			

				by Chairperson- Convenor
2.	Computer-Operator-Cum-Steno	Stenographer	5 years	Op
3.	Receptionist/Diarist-cum-Dispatcher	Cashier/Caretaker	5 years	op
4	Peon/Ardali/Daftari/Supervisor.	Computer Operator- Cum-Steno Receptionist/Diarist- cum-Dispatcher	5 years	op
5.	Peon/Ardali	Daftari	5 years	op
9.	Daftari	Supervisor	5 years	op

By order of the Commission, P. K. CHATURVEDI, Commission Secretary.